

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0176 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/07/2025 18:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 09/09/2024 Date To (दिनांक तक): 01/10/2024
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:28 बजे Time To (समय तक): 13:30 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/07/2025 Time (समय): 12:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 09/07/2025 18:50:11 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 35 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): RAJAKHERA JILA DHAULPUR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DIMAN SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): LET.YASHPAL SINGH

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1980

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No. Id Type

Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BICHAULA ROAD BACHPAN SCHOOL KE AAGE, RAJAKHERA, RAJA KHERA, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BICHAULA ROAD BACHPAN SCHOOL KE AAGE, RAJAKHERA, RAJA KHERA, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMKISHAN		पिता: KALICHARAN	1. JARIYA MAUHLLA, WARD NO.07, RAJAKHERA, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्यालय, ए.सी.बी. धौलपुर, (राज.) विषय:-रामकिशन लाईनमैन (जेवीवीएनएल) द्वारा रिश्त की मांग करने के संबंध में। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं दिमान सिंह पुत्र स्व0 श्री यशपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी बिचौला रोड राजाखेडा का मूल निवासी है। दिनांक 09.09.2024 की बात है कि मेरा बिल ज्यादा आने व मीटर बदलने के लिए लाईन मैन रामकिशन के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि मैं तेरा बिल कम निकाल दूंगा तथा तेरा मीटर बदल दूंगा तू मुझे 10,000 रुपये दे जा और घर जा तेरा काम हो जाएगा बिल का नम्बर 22011288 मीटर नम्बर 19456915 है, जिसकी दिनांक 09.09.2024 सुबह 11 बजकर 28 मिनट पर 02 मिनट 21 सैकण्ड की विडियो तथा दूसरी विडियो 11 बजकर 31 मिनट पर तथा तीसरी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाईल [REDACTED] से लाईनमैन के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर 02 मिनट 53 सैकण्ड बात हुई जिसकी रिकॉर्डिंग सबूत सहित मेरे पास है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं लाइनमैन को 10,000/- रुपये देना नहीं चाहता इसलिए लाइनमैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी प्रार्थी दिमान सिंह पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी बिचौला रोड राजाखेडा धौलपुर मोबाईल [REDACTED] दिनांक 01.10.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री दिमान सिंह पुत्र श्री यशपाल सिंह निवासी बिचौला रोड राजाखेडा जिला धौलपुर ने एक लिखित प्रार्थना-पत्र कार्यालय में उपस्थित आकर होकर मय मोबाईल ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के इस आशय का पेश किया कि " मेरा बिल ज्यादा आने व मीटर बदलने के लिये लाईनमैन रामकिशन के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि मैं तेरा बिल कम निकाल दूंगा तथा तेरा मीटर बदल दूंगा, तू मुझे 10,000/-रुपये दे जा, और घर जा तेरा काम हो जायेगा। बिल का नम्बर 22011288 मीटर नं0 19456915 हैं जिसकी दिनांक 09.09.24 सुबह 11 बजकर 28 मिनट पर 02 मिनट 21 सैकण्ड की वीडियो तथा दूसरी वीडियो दिनांक 09.09.2024 को 11 बजकर 31 मिनट पर तथा तीसरी रिकॉर्डिंग मेरे मो0नं0 [REDACTED] से लाईनमैन के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर 02 मिनट 53 सैकण्ड बात हुई हैं जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं इत्यादि। मेरे घर के विद्युत मीटर को बदलने एवं बिल को कम करने की एवज में श्री रामकिशन लाईनमैन जे0वी0वी0एन0एल0 राजाखेडा द्वारा 10,000/- रुपये की रिश्त मांग की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाईल में हैं इत्यादि।" उक्त पर प्राथमिक जांच संख्या 09/2025 दिनांक 28.01.2025 विरुद्ध रामकिशन तकनीशियन-प्रथम जे0वी0वी0एन0एल राजाखेडा धौलपुर दर्ज कर जांच प्रारम्भ की गई। दौरान प्राथमिक जांच में परिवादी द्वारा शिकायत में उल्लेखित किये गये तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किये एवं परिवादी द्वारा अपने मोबाईल से रिकॉर्ड किये गये ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी दिमान सिंह व माखन सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर जिला धौलपुर एवं सचिन धौर्य वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर जिला धौलपुर सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई थी। परिवादी द्वारा पेश मोबाईल जिससे ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की गयी, मोबाईल को जरिये फर्द जप्त कर प्रथक से फर्द जप्ती मुर्तिब कर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया एवं परिवादी से 63 ग (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। सहायक अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम राजाखेडा जिला धौलपुर को पत्र जारी कर परिवादी के विद्युत कनेक्शन से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया एवं गवाह श्री माखन सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण जांच से पाया कि परिवादी श्री दिमान सिंह के नाम से विद्युत कनेक्शन के नं0 210913029925, मीटर नं0 19456915 दिनांक 20.07.2017 को जारी किया हुआ है, जिसका दिनांक 06.08.2024 को जारी किया गया बिल जिसमें कुल उपभोग यूनिट 198 होना पाया गया उक्त बिल में पिछले बारह माह की बिलिंग का इन्द्राज होना पाया गया जिसमें भी वर्ष 2023 बिल माह अगस्त में 173 एवं सितम्बर शून्य, अक्टूबर 227, नवम्बर शून्य, दिसम्बर 197 व वर्ष 2024 बिल माह जनवरी शून्य, फरवरी 229, मार्च शून्य, अप्रैल 129, मई शून्य जून 199, जुलाई शून्य मे यूनिट का उपभोग किया गया। आरोपी श्री राम किशन लाईनमैन जे0वी0वी0एन0एल0 राजाखेडा द्वारा दिनांक 09.09.2024 को जारी बिल में उपभोग यूनिट 2601 दर्शाया जाकर बिल जारी किया गया जिसकी राशि 22,441/-रुपये होना पाया गया, माह सितम्बर 2024 में जारी बिल में अचानक यूनिट वृद्धि होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। लाईनमैन द्वारा उक्त बिल राशि को कम करने एवं दूसरा मीटर लगाने की एवज में 10,000/-रुपये की रिश्त मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः सम्पूर्ण जांच व साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री रामकिशन तकनीशियन-प्रथम जे0वी0वी0एन0एल0 राजाखेडा

जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री दिमान सिंह के वर्ष 2024 माह सितम्बर के बिल राशि को कम करने एवं दूसरा मीटर लगाने की एवज में 10,000/-रुपये की रिश्त मांग करना व परिवादी का मीटर उतारकर ले जाना व विद्युत कार्यालय में जमा नही करवाना पाया जिसके द्वारा सम्पत्ति का दुर्विनियोग किये जाने का उक्त कृत्य धारा 7,13(1)(A), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री रामकिशन तकनीशियन-प्रथम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (ज्ञानसिंह चौधरी) अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानसिंह चौधरी अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,13 (1)(A), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामकिशन पुत्र श्री कालीचरन उम्र 44 साल निवासी जरिया मौहल्ला, वार्ड नं. 07 राजाखेडा जिलाधौलपुर हाल तकनीशियन-प्रथम जे.वी.वी. एन.एल. बिचौला फीडर राजाखेडा जिला धौलपुर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम राजाखेडा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 167 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1005-08 दिनांक 09.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशेष न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

AMIT SINGH

Rank

(पद):

अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan, IN
Date: 09/07/2025 18:51:11

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)